SHODHDHARA INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL(SIMJ)

Volume-I (Issue 1) – April - June2026 ISSN:

भारतीय न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता (Mediation) की भूमिका : एक विधिक एवं सामाजिक अध्ययन

[1]डॉ अपूर्वा खंडेलवाल, [2]दीपा चंदेल

[1]सहायक प्रोफेसर, सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ लॉ, बैंगलोर कर्नाटक

apoorva@sjcl.edu.in

deepachandel1983@umagroups.com

सारांश (Abstract)- भारत की न्यायिक व्यवस्था वर्तमान समय में लंबित मामलों, बढ़ते मुकदमों तथा न्याय प्राप्ति में विलंब जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में मध्यस्थता (Mediation) एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली (Alternative Dispute Resolution – ADR) के रूप में उभरकर सामने आई है। मध्यस्थता न केवल न्यायालयों पर बढ़ते बोझ को कम करने में सहायक है, बल्कि यह पक्षकारों के बीच आपसी संवाद, समझौता एवं सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता की अवधारणा, कानूनी आधार, उपयोगिता, चुनौतियाँ तथा भविष्य की संभावनाओं का अध्ययन किया गया है। शोध पत्र में भारतीय संविधान, सिविल प्रक्रिया संहिता, मध्यस्थता अधिनियम तथा उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट किया गया है कि मध्यस्थता परिवार, व्यापार, श्रम एवं सामुदायिक विवादों के समाधान का एक सशक्त माध्यम बन सकती है।

मुख्य शब्द- मध्यस्थता, वैकल्पिक विवाद निवारण, न्याय व्यवस्था, विधिक सुधार, सामाजिक न्याय, ADR

1. प्रस्तावना

भारतीय न्यायपालिका विश्व की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्थाओं में से एक है। देश में लाखों की संख्या में लंबित मुकदमे न्यायिक प्रणाली के समक्ष एक गंभीर समस्या के रूप में उपस्थित हैं। न्याय में विलंब को अक्सर "Justice Delayed is Justice Denied" अर्थात् "विलंबित न्याय, न्याय से वंचित करना" कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली (ADR) का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है।

मध्यस्थता (Mediation) ADR की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष, जिसे मध्यस्थ कहा जाता है, विवादित

पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर समझौते की दिशा में सहायता करता है। मध्यस्थता की प्रक्रिया स्वैच्छिक, गोपनीय, सरल एवं कम खर्चीली होती है। भारत में पारंपरिक पंचायत व्यवस्था में भी मध्यस्थता की भावना विद्यमान रही है। आधुनिक न्याय प्रणाली में इसे विधिक मान्यता प्रदान की गई है।

वर्तमान समय में पारिवारिक विवाद, वैवाहिक मतभेद, व्यापारिक विवाद, श्रम विवाद तथा संपत्ति संबंधी मामलों में मध्यस्थता की उपयोगिता तेजी से बढ़ रही है। न्यायपालिका भी पक्षकारों को मध्यस्थता अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

2. मध्यस्थता की अवधारणा एवं स्वरूप

मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विवादित पक्ष आपसी सहमति से विवाद समाधान के लिए किसी तटस्थ व्यक्ति की सहायता लेते हैं। मध्यस्थ का कार्य निर्णय देना नहीं बल्कि संवाद को सुगम बनाना होता है।

मध्यस्थता की प्रमुख विशेषताएँ

1. स्वैच्छिक प्रक्रिया
2. गोपनीयता
3. कम समय में समाधान
4. कम व्यय
5. आपसी संबंधों का संरक्षण
6. न्यायालयीय प्रक्रिया की तुलना में सरलता

मध्यस्थता का उद्देश्य केवल विवाद समाप्त करना नहीं बल्कि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करते हुए स्थायी समाधान प्रस्तुत करना है।

3. भारत में मध्यस्थता का ऐतिहासिक विकास

भारत में प्राचीन काल से ही विवाद समाधान हेतु पंचायतों एवं सामाजिक संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ग्राम पंचायतें सामाजिक विवादों का निपटारा आपसी समझौते से करती थीं। आधुनिक समय में अंग्रेजी शासन के दौरान औपचारिक न्यायालय प्रणाली स्थापित हुई, जिससे वैकल्पिक प्रणालियों का महत्व कुछ कम हुआ।

स्वतंत्रता के पश्चात न्यायिक सुधारों के अंतर्गत वैकल्पिक विवाद निवारण को बढ़ावा दिया गया। विशेष रूप से 1980 के दशक के बाद ADR प्रणाली को न्यायिक सुधार का महत्वपूर्ण अंग माना गया।

भारत में मध्यस्थता को विधिक मान्यता निम्न प्रावधानों के माध्यम से प्राप्त हुई:

- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
- मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996
- मध्यस्थता अधिनियम, 2023

4. मध्यस्थता का विधिक आधार

4.1 भारतीय संविधान और मध्यस्थता

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में सभी नागरिकों को समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। मध्यस्थता इस संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करने में सहायक सिद्ध होती है।

4.2 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89

धारा 89 न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान करती है कि वे उचित मामलों को मध्यस्थता, सुलह, लोक अदालत या पंचाट के लिए भेज सकते हैं। यह प्रावधान न्यायालयों पर बढ़ते भार को कम करने में सहायक है।

4.3 मध्यस्थता अधिनियम, 2023

भारत सरकार ने मध्यस्थता को अधिक प्रभावी एवं संस्थागत स्वरूप प्रदान करने हेतु मध्यस्थता अधिनियम, 2023 पारित किया। इसका उद्देश्य मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना तथा विवाद समाधान को सरल बनाना है।

5. मध्यस्थता के प्रकार

5.1 न्यायालय-संदर्भित मध्यस्थता

जब न्यायालय किसी विवाद को मध्यस्थता हेतु भेजता है, तब इसे न्यायालय-संदर्भित मध्यस्थता कहा जाता है।

5.2 निजी मध्यस्थता

जब पक्षकार स्वयं किसी मध्यस्थ की नियुक्ति करते हैं, तब इसे निजी मध्यस्थता कहा जाता है।

5.3 सामुदायिक मध्यस्थता

सामाजिक एवं सामुदायिक विवादों के समाधान हेतु स्थानीय स्तर पर की जाने वाली मध्यस्थता सामुदायिक मध्यस्थता कहलाती है।

5.4 पारिवारिक मध्यस्थता

वैवाहिक विवाद, तलाक, भरण-पोषण एवं पारिवारिक मतभेदों के समाधान हेतु पारिवारिक मध्यस्थता का उपयोग किया जाता है।

6. भारतीय न्यायपालिका की भूमिका

भारतीय न्यायपालिका ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से मध्यस्थता को बढ़ावा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों में यह कहा है कि समझौता आधारित समाधान न्यायिक प्रक्रिया की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है।

प्रमुख न्यायिक निर्णय

(1) Salem Advocate Bar Association v. Union of India

इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 89 CPC की वैधता को स्वीकार करते हुए ADR प्रणाली को प्रोत्साहित किया।

(2) Afcons Infrastructure Ltd. v. Cherian Varkey Construction Co.

इस निर्णय में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि किन प्रकार के मामलों को मध्यस्थता हेतु भेजा जा सकता है।

(3) K. Srinivas Rao v. D.A. Deepa

न्यायालय ने पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता को अत्यंत उपयोगी बताया।

7. मध्यस्थता के लाभ

7.1 त्वरित न्याय

मध्यस्थता के माध्यम से मामलों का समाधान अपेक्षाकृत कम समय में हो जाता है।

7.2 आर्थिक रूप से लाभकारी

न्यायालयीय प्रक्रिया की तुलना में मध्यस्थता कम खर्चीली होती है।

7.3 संबंधों का संरक्षण

विशेषकर पारिवारिक एवं व्यावसायिक विवादों में मध्यस्थता आपसी संबंधों को बनाए रखने में सहायक है।

7.4 गोपनीयता

मध्यस्थता की प्रक्रिया गोपनीय होती है, जिससे पक्षकारों की निजी जानकारी सुरक्षित रहती है।

7.5 न्यायालयों पर भार में कमी

यदि अधिकाधिक विवाद मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाए जाएँ तो न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम हो सकती है।

8. मध्यस्थता की चुनौतियाँ

यद्यपि मध्यस्थता अत्यंत उपयोगी प्रणाली है, फिर भी इसके समक्ष कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं:

1. जागरूकता का अभाव
2. प्रशिक्षित मध्यस्थों की कमी
3. ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित पहुँच
4. पक्षकारों का अविश्वास
5. संस्थागत ढाँचे की कमी
6. समझौते के क्रियान्वयन में कठिनाइयाँ

भारत में अभी भी बड़ी संख्या में लोग न्यायालयीय निर्णय को ही अंतिम एवं प्रभावी मानते हैं। मध्यस्थता के प्रति सामाजिक विश्वास विकसित करना आवश्यक है।

9. सामाजिक दृष्टिकोण से मध्यस्थता का महत्व

मध्यस्थता केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि सामाजिक समरसता का माध्यम भी है। वर्तमान समय में पारिवारिक विघटन, सामाजिक तनाव तथा सामुदायिक विवादों की बढ़ती संख्या समाज के लिए चिंता का विषय है। मध्यस्थता संवाद एवं समझौते की संस्कृति को बढ़ावा देती है।

विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में मध्यस्थता परिवारों को टूटने से बचाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्तर पर मध्यस्थता सामाजिक सौहार्द एवं शांति बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

10. बहुविषयक (Multidisciplinary) परिप्रेक्ष्य

मध्यस्थता का संबंध केवल विधि से नहीं बल्कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, प्रबंधन एवं लोक प्रशासन से भी है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

मध्यस्थता सामाजिक संबंधों एवं सामुदायिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण

मध्यस्थता में संवाद, सहानुभूति एवं भावनात्मक संतुलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रबंधन दृष्टिकोण

व्यावसायिक संस्थानों में मध्यस्थता विवाद प्रबंधन का प्रभावी साधन है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण

सरकारी विभागों एवं संस्थाओं में मध्यस्थता प्रशासनिक विवादों को कम करने में सहायक हो सकती है।

11. सुधार हेतु सुझाव

1. मध्यस्थता के प्रति जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
2. प्रत्येक जिले में आधुनिक मध्यस्थता केंद्र स्थापित किए जाएँ।
3. विधि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में ADR शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए।
4. प्रशिक्षित एवं प्रमाणित मध्यस्थों की संख्या बढ़ाई जाए।
5. ऑनलाइन मध्यस्थता प्रणाली को विकसित किया जाए।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में लोक मध्यस्थता केंद्र स्थापित किए जाएँ।
7. पारिवारिक एवं सामाजिक विवादों में मध्यस्थता को प्राथमिकता दी जाए।

12. निष्कर्ष

मध्यस्थता भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक प्रभावी एवं आवश्यक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में उभर रही है। यह न केवल न्यायालयों पर बढ़ते भार को कम करने में सहायक है बल्कि सामाजिक संबंधों को सुरक्षित रखते हुए विवादों का स्थायी समाधान भी प्रदान करती है। वर्तमान समय में जब न्यायिक प्रक्रिया लंबी एवं खर्चीली होती जा रही है, तब मध्यस्थता त्वरित, सुलभ एवं मानवीय न्याय का माध्यम बन सकती है।

भारत में मध्यस्थता को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि सरकार, न्यायपालिका, विधि संस्थान एवं समाज मिलकर इसके प्रति जागरूकता विकसित करें। यदि मध्यस्थता प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो यह सामाजिक न्याय एवं न्यायिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

संदर्भ सूची (References)

1. भारतीय संविधान

2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

3. मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996

4. मध्यस्थता अधिनियम, 2023

5. M.P. Jain – Indian Constitutional Law

6. Avtar Singh – Law of Arbitration and Conciliation

7. P.C. Rao & William Sheffield – Alternative Dispute Resolution

8. Salem Advocate Bar Association v. Union of India, AIR 2003 SC 189

9. Afcons Infrastructure Ltd. v. Cherian Varkey Construction Co., (2010) 8 SCC 24

10. K. Srinivas Rao v. D.A. Deepa, (2013) 5 SCC 226

11. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987